

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय पारित: 01.05.2024

ले.पे.अ. 257/2024 और सि.वि.सं. 19528/2024

रिच प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन

..... अपीलार्थी

बनाम

पेटेंट नियंत्रक एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:

अपीलार्थी के लिए:

श्री पीयूष कालरा, श्री देबाशीष बनर्जी,
श्री अंकुश वर्मा, श्री तनवीर मल्होत्रा एवं
श्री रोहन जे. कपूर, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थीगण के लिए:

श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, श्री श्रीश
कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई
पाइकडे, श्री लक्ष्य गुणावत और श्री
कृष्णन वी., प्र.आ-1 के लिए
अधिवक्तागण।

सुश्री विंध्या एस. मणि, श्री प्रशांत
फिलिप्स, सुश्री सुरभी नौटियाल, सुश्री
हर्षिता अग्रवाल, श्री भुवन मल्होत्रा, श्री
देवेश असवाल, सुश्री नैना गुप्ता और श्री

ऋत्तिक शर्मा, प्र.-2 के लिए
अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बखरू

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा विस्तता गंजू

निर्णय

न्या. विभु बखरू.

1. अपीलार्थी, रिच प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन (इसके बाद आर.पी.सी.) ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि.)-बौ.सं.अनु. सं. 8/2024, शीर्षक **रिच प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन बनाम पेटेंट नियंत्रक और अन्य** में दिनांक 06.02.2024 को पारित आदेश (इसके बाद आक्षेपित आदेश कहा जाएगा) पर आक्षेप करते हुए वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील दायर की है। अपीलार्थी ने पेटेंट और डिजाइन के संयुक्त नियंत्रक (इसके बाद नियंत्रक कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 04.09.2023 को पारित आदेश पर आक्षेप करते हुए पूर्व-उल्लिखित रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 - ट्रोपिलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद टी.एफ.पी.एल. कहा जाएगा) द्वारा दायर आवेदन पर आर.पी.सी. के स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज कर दिया गया है - एक

पेटेंट जिसका शीर्षक “मिठास रहित खाना पकाने और मिठाईयों में उपयोग के लिए एक कृत्रिम तरल क्रीम” के स्वीकृति के लिए है।

2. उक्त आवेदन के संबंध में पहली जाँच रिपोर्ट (इसके बाद एफ.ई.आर. कहा जाएगा) 27.07.2018 को जारी की गई थी और टी.एफ.पी.एल. के प्रतिनिधि द्वारा इसका जवाब दिया गया था। आर.पी.सी. ने 21.08.2017 को पेटेंट अधिनियम, 1970 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध दायर किया। आर.पी.सी. ने 23.08.2017 को और दस्तावेज़ दाखिल किए। आर.पी.सी. के विरोध को एफ.ई.आर. के साथ टी.एफ.पी.एल. को संसूचित किया गया।

3. आर.पी.सी. ने अधिनियम की धारा 25(1) के खंड (ख) से (छ) के तहत कई आधारों पर पेटेंट देने का विरोध किया। आर.पी.सी. के स्वीकृति-पूर्व विरोध को नियंत्रक द्वारा दिनांक 04.09.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. आर.पी.सी. ने उक्त आदेश को रिट याचिका [रि.या.(सि.) बौ.सं.अनु. सं. 8/2024] द्वारा चुनौती दी है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर उक्त रिट याचिका पर विचार नहीं किया कि आर.पी.सी. ने अधिनियम के तहत पेटेंट स्वीकृति को चुनौती देने के लिए प्रभावी तंत्र का सहारा लिया था।

इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर.पी.सी. को सलाह दिए जाने पर, उपलब्ध अन्य उपचारों का सहारा लेने के लिए बाध्य किया।

प्रस्तुतियाँ

5. आर.पी.सी. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कालरा ने दलीलें प्रस्तुत की हैं। हालांकि, आर.पी.सी. द्वारा अधिनियम की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध के लिए अपने आवेदन में कई आधारों का आग्रह किया गया था, श्री कालरा ने वर्तमान अपील में चुनौती को अधिनियम की धारा 25(1)(ख) के तहत आर.पी.सी. के विरोध को खारिज करने तक सीमित रखा - जो पूर्व युक्ति द्वारा पूर्वानुमानित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टी.एफ.पी.एल. द्वारा दावा किया गया आविष्कार आर.पी.सी. के पक्ष में दिए गए पहले पेटेंट (डी1) (जिसे 'डी1' कहा गया है) द्वारा कवर किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त पेटेंट की अवधि समाप्त हो गई थी और यह स्पष्ट था कि टी.एफ.पी.एल. द्वारा किया गया दावा आर.पी.सी. के पक्ष में दिए गए पहले के पेटेंट के पूर्ण विनिर्देशों के तहत शामिल थे। उन्होंने नियंत्रक के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में निर्धारित सारणीबद्ध बयान का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि टी.एफ.पी.एल. के दावे पूरी तरह से पूर्व युक्ति, डी1 में किए गए दावों में शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर.पी.सी. के इस तर्क को खारिज करने वाला नियंत्रक का आदेश कि

टी.एफ.पी.एल. का दावा इस आधार पर पेटेंट योग्य नहीं था कि इसका खुलासा पूर्व युक्ति में किया गया था, स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के आधार पर याचिका पर विचार न करके बहुत बड़ी त्रुटि की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पेटेंट के स्वीकृति के बाद उपलब्ध उपायों की प्रकृति महत्वपूर्ण रूप से अलग है। उन्होंने तर्क दिया कि नियंत्रक द्वारा स्वीकृति-पूर्व विरोध को अस्वीकार करने वाला आदेश स्पष्टतः गलत है और इसलिए, आर.पी.सी. के रिट याचिका के द्वारा इसे चुनौती देने को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आर.पी.सी. को पेटेंट दिए जाने के बाद इसे चुनौती देने का अधिकार है। उन्होंने **ग्लोकैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और उक्त निर्णय के बल पर प्रस्तुत किया कि यदि नियंत्रक ने स्पष्ट त्रुटि की है, तो यह तथ्य कि आर.पी.सी. के पास स्वीकृति-पश्चात के पश्चात विरोध करने का उपाय हो सकता है, आर.पी.सी. द्वारा स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज करने की चुनौती को आगे बढ़ाने में दावा खारिज करना का आधार नहीं हो सकता है।

6. टी.एफ.पी.एल. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री विंध्य एस. मणि ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया। उन्होंने नियंत्रक द्वारा

दिनांक 04.09.2023 को पारित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि आर.पी.सी. के स्वीकृति-पूर्व विरोध को अस्वीकार करने का निर्णय उचित कारणों से समर्थित था। इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टी.एफ.पी.एल. के आविष्कार ने डेयरी दूध क्रीम का विकल्प प्रदान किया है, जिसका उपयोग खाना पकाने के साथ-साथ मिठाई बनाने में भी किया जा सकता है। इस उत्पाद को 25 डिग्री सेल्सियस के परिवेशी तापमान पर भंडारित किया जा सकता है तथा इसकी निधानी आयु भी लंबी है। उन्होंने तर्क दिया कि टी.एफ.पी.एल. का आविष्कार उच्च तापमान पर स्थिर है और इसमें 2 प्रतिशत से भी कम ट्रांस-फैट भी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि, डी1 में बड़ी संख्या में अवयवों का खुलासा किया गया है, लेकिन इसके विनिर्देशों में जैंथन गम और हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलूलोज (एच.पी.एम.सी.) के संयोजन में स्टेबलाइज़र प्रणाली की विशिष्ट संरचना का खुलासा नहीं किया गया है, जैसा कि दावा किया गया है। उसने दावा किया कि इसमें इसे तैयार करने की विधि का भी खुलासा नहीं किया गया है।

7. उन्होंने बताया कि नियंत्रक ने उल्लिखित किया कि "डबल ड्रीम" चिह्न के तहत बाजार में बेचे जाने वाले आर.पी.सी. के उत्पाद की संरचना - जिसके

बारे में आर.पी.सी. ने दावा किया था कि वह डी1 पर आधारित था - का खुलासा नहीं किया गया था।

8. उन्होंने *यू.सी.बी. फार्चिम एस.ए. बनाम सिप्ला लिमिटेड* मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि हितबद्ध व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपाय, जिसका स्वीकृति-पूर्व विरोध खारिज कर दिया गया है, अधिनियम की धारा 25(2) के तहत स्वीकृति-पश्चात विरोध दायर करने का हकदार है और यदि असफल रहता है, तो अधिनियम की धारा 25(4) के तहत अपील दायर करने का हकदार है।

कारण और निष्कर्ष

9. वर्तमान अपील में शामिल विवाद एक संकीर्ण दायरे में है। एकमात्र प्रश्न जिसे संबोधित किया जाना है वह यह है कि क्या आर.पी.सी. के स्वीकृति-पूर्व विरोध को अस्वीकार करने वाले नियंत्रक के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं करने का विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय गलत है, और इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराता है।

10. यह सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध जाँच प्रक्रिया का हिस्सा है और पेटेंट के स्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार करने में नियंत्रक की सहायता करना है। निर्विवाद रूप से, यदि

कोई प्राधिकारी कोई आदेश पारित करता है जो अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों से ग्रस्त है, तो पीड़ित व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना चाहिए। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय एक विवेकाधीन उपाय है और यदि कोई प्रभावी, वैकल्पिक और कानूनी उपाय है तो न्यायालय इसका प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

11. वर्तमान मामले में, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि नियंत्रक द्वारा पारित दिनांक 04-09-2023 का आदेश, जिसे आर.पी.सी. द्वारा रिट याचिका में आक्षेपित किया गया था, किसी भी अधिकार क्षेत्र या स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा।

12. आर.पी.सी. ने कई आधारों पर पेटेंट देने का विरोध किया था। इसने दावा किया कि टी.एफ.पी.एल. का आविष्कार पूर्व युक्ति डी1 द्वारा पूर्वानुमानित था। इस तर्क को नियंत्रक ने खारिज कर दिया। नियंत्रक ने पाया कि डी1 ने ज़ेंथन गम और एच.पी.एम.सी. से युक्त स्टेबलाइज़र प्रणाली के साथ संरचना और इस संयोजन के लिए विशिष्ट भार प्रतिशत सीमा का खुलासा नहीं किया जैसा कि टी.एफ.पी.एल. के संशोधित दावा 1 में उद्धृत किया गया था। नियंत्रक ने टिप्पण किया कि डी1 ने ग्वार गम और टिड्डी

बीन गम का उपयोग स्टेबलाइज़र के रूप में किया। नियंत्रक ने आगे कहा कि डी1 ने संरचना का कोई खुलासा नहीं किया जैसा कि टी.एफ.पी.एल. के संशोधित दावे 1 से 16 में दावा किया गया है और इसलिए, इसे नवीन माना जाना चाहिए और पहले दायर किए गए किसी भी विनिर्देश में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आर.पी.सी. के इस दावे कि टी.एफ.पी.एल. के आविष्कार का दावा पूर्ण विनिर्देश के पहले के दावे में किया गया था, को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि नियंत्रक ने पाया कि टी.एफ.पी.एल. का आविष्कार नया था।

13. अधिनियम की धारा 25(1)(घ) के तहत आर.पी.सी. का इस आशय से विरोध कि आविष्कार को सार्वजनिक रूप से इसके उत्पाद "डबल ड्रीम" के रूप में जाना जाता था, इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया कि उत्पाद "डबल ड्रीम" की सटीक संरचना का खुलासा नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 25(1)(ड) के तहत आविष्कारशील कदम की कमी के कारण आर.पी.सी. के दावे को भी विस्तृत जांच के बाद नियंत्रक द्वारा खारिज कर दिया गया। नियंत्रक ने आविष्कार तैयार करने के लिए दावा की गई विधि की जांच की और पाया कि पूर्व विधि डी1 0.15%-0.5% के भार प्रतिशत रेंज में जैथन गम और एच.पी.एम.सी. से युक्त स्टेबलाइज़र प्रणाली वाली संरचना के लिए कोई सक्षम प्रकटीकरण प्रदान करने में विफल रहा। नियंत्रक ने टिप्पण

किया कि डी1 ने लगभग 10 स्टेबलाइज़र की लॉन्ड्री सूची प्रदान की जिसमें ज़ैंथन गम और एच.पी.एम.सी. शामिल थे। हालाँकि, युक्ति में कुशल व्यक्ति के लिए कम से कम ज़ैंथन गम और एच.पी.एम.सी. के संयोजन को चुनने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि डी1 में मुख्य स्टेबलाइज़र्स 'ग्वार गम, लोकस्ट बीन गम और ज़ैंथन गम' हैं। नियंत्रक ने कहा कि टी.एफ.पी.एल. द्वारा दावा की गई क्रीम संरचना को 25 डिग्री सेल्सियस के परिवेशी तापमान पर छह महीने तक संग्रहीत किया जा सकता है और इसलिए, यह तकनीकी प्रगति के साथ-साथ आर्थिक महत्व को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक ने यह भी पाया कि आविष्कार तैयार करने की प्रक्रिया दो चरणों में थी, जो डी1 द्वारा नहीं बताई गई थी। नियंत्रक ने टिप्पण किया कि डी1 द्वारा सिखाई गई विधि घटकों को एक ही चरण में घोलना होता था।

14. इस न्यायालय के लिए उपरोक्त निर्णय के गुणागुण की समीक्षा करना उचित नहीं है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नियंत्रक द्वारा पारित आदेश किसी भी अधिकार क्षेत्र त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, जिसके कारण किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

15. **ग्लोकैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड और अन्य** में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि

याचिकाकर्ता के पास उस मामले में दिए गए तथ्यों में अपने स्वीकृति-पूर्व विरोध की अस्वीकृति के खिलाफ समान रूप से प्रभावी उपाय था। बम्बई उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“12. विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम सबसे पहले अंतिम आपति पर विचार करेंगे। यद्यपि याचीगण के पास स्वीकृति-पश्चात विरोध करने या स्वतः प्रतिसंहरण की मांग करने के साथ-साथ प्रतिदावा दायर करने का उपाय हो सकता है, जैसा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा सुझाव दिया गया है कि याचीगण पर वाद खारिज करने का कोई आधार नहीं हो सकता है, यदि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत में सही था कि प्राधिकारी ने विरोध के रूप में अभ्यावेदन पर विचार करते समय स्पष्टतः या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है या उस मामले के लिए विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के स्पष्टतः गलत गलत व्याख्या और गलत उपयोग पर आपतियों का फैसला किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधि अधिनियम की धारा 25(1) के आधार पर स्वीकृति-पूर्व विरोध के उपाय का प्रावधान करता है। यदि ऐसा कोई उपाय प्रदान किया गया है, तो प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए विधि के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध के द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम याचीगण के इस तर्क की जांच करें कि स्वीकृति-पूर्व विरोध का उपाय स्वीकृति-पश्चात विरोध के उपाय से गुणात्मक रूप से अलग है। याचीगण के अनुसार, स्वीकृति-पूर्व विरोध में, पेटेंट आवेदक पर यह

दर्शाने का भार है कि कथित आविष्कार के परिणामस्वरूप बताए गए पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि होगी; जबकि स्वीकृति-पश्चात विरोध में, यह दर्शाने का भार आक्षेपकर्ता पर होगी कि कथित आविष्कार के परिणामस्वरूप बताए गए पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं होगी। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 25(1) के तहत विरोध करने पर प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रज्ञा और विवेक का विषय है कि न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करना चाहिए या नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम सोचते हैं कि इस मामले में याचीगण का वाद खारिज करना उचित नहीं होगा।

[जोर दिया गया]

16. इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि यदि यह स्पष्ट है कि नियंत्रक ने अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि की है, तो न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है।

17. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर.पी.सी. की याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया है कि न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज करने वाले नियंत्रक के आदेश के

खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि न्यायालय ने पाया कि आर.पी.सी. की चुनौती भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उसी पर विचार करने के लिए स्पष्ट अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि की सीमा के योग्य नहीं बनाती है। **यू.सी.बी. फार्चिम एस.ए. और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड** में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 25 के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध और स्वीकृति-पश्चात विरोध की स्कीम पर विचार किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 25(1) के विभिन्न खंडों में निर्धारित आधारों पर पेटेंट स्वीकृति का विरोध करने के लिए अधिनियम की धारा 25(1) के तहत अभ्यावेदन दायर कर सकता है। हितबद्ध व्यक्ति के पास अधिनियम की धारा 25(2) के तहत स्वीकृति-पश्चात विरोध दर्ज करने का उपाय होगा। इस प्रकार, हितबद्ध व्यक्ति के पास दो उपाय हैं - स्वीकृति-पूर्व विरोध के साथ-साथ स्वीकृति-पश्चात विरोध दर्ज करने का उपाय। इसके अलावा, हितबद्ध व्यक्ति को स्वीकृति-पश्चात विरोध को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार है। न्यायालय ने **ग्लोकैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड और अन्य** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को भी उल्लिखित किया।

यू.सी.बी.फार्चिम एस.ए. और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

“15. पहली स्थिति में, जहां स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज कर दिया जाता है, जे. मित्रा के निर्णय और धारा 117क सहपठित धारा 25 से यह स्पष्ट होता है कि जब तक वह व्यक्ति जिसने विरोध दायर किया है, वह हितबद्ध व्यक्ति है, वह 1 जनवरी, 2005 के बाद (जिस तारीख से धारा 25(2) लागू हुई थी, हालांकि प्रावधान 4 अप्रैल, 2005 को ही प्रस्तुत किया गया था) स्वीकृति-पश्चात विरोध दर्ज करने का उपाय होगा। 2 अप्रैल, 2007 के बाद वह पेटेंट को प्रतिसंहरण करने के लिए पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के तहत आई.पी.ए.बी. के समक्ष आवेदन भी दायर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि जे. मित्रा एंड कंपनी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि, जब तक कि वह व्यक्ति यह दिखाने में सक्षम है कि वह एक "हितबद्ध" व्यक्ति है, उसके स्वीकृति-पूर्व विरोध को खारिज करने के बाद भी उसके पास उपाय है। वास्तव में उसके पास दो उपाय हैं। भले ही उसका स्वीकृति-पश्चात विरोध खारिज भी कर दिया जाए, फिर भी वह धारा 117क के तहत आई.पी.ए.बी. में अपील दायर कर सकता है। किसी भी स्थिति में आई.पी.ए.बी. के निर्णय के खिलाफ उसके पास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके विधि के अनुसार न्यायिक समीक्षा की मांग करने का उपाय होगा। इस परिस्थिति में यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2 मार्च, 2009 के आदेश में 2009 के वि.अनु.या. (सि) सं. 3522 (इंडियन नेटवर्क फॉर पीपल विद एचआईवी/एड्स बनाम एफ.

हॉफमैन-ला रोश) में उच्चतम न्यायालय ने असफल स्वीकृति-पूर्व विरोधी को अनुमति दी, जिसने नियंत्रक द्वारा अपने स्वीकृति-पश्चात विरोध की अस्वीकृति को चुनौती दी थी।

16. विधि सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किसी भी कानूनी प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र होने के बावजूद, जो न्यायिककल्प प्रकृति का है, वह ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देगा जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है।

17. पक्षकारगण के अधिवक्ता ने ग्लोकैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (रिट याचिका सं. 1605/2009 में दिनांक 6 नवंबर 2009 को दिया गया निर्णय) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के हालिया फैसले की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि उस मामले में याचिकाकर्ता जिसका स्वीकृति-पूर्व विरोध अस्वीकार कर दिया गया था, स्पष्ट रूप से एक हितबद्ध व्यक्ति था, उच्च न्यायालय ने पोषणीयता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया क्योंकि उसने यह विचार किया कि उस मामले में नियंत्रक का आदेश स्पष्टतः अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों से ग्रस्त था। बंबई उच्च न्यायालय ने फिर भी टिप्पण किया कि "यह प्रज्ञा और विवेक का विषय है कि क्या इस न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करना चाहिए या नहीं" और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "इस मामले में याचीगण का वाद खारिज

करना उचित नहीं है।" इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किए गए सुस्थापित विधि (जिसे संयोगवश बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ग्लोकेम में ध्यान नहीं दिया गया है) यह स्पष्ट करता है कि इस न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसलिए कि याचिकाकर्ता के पास इसे समाप्त करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय है।

18. उपरोक्त निर्णय को *नोवार्टिस ए.जी. बनाम नैटको फार्मा लिमिटेड और अन्य* में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित भी किया गया था।

19. *माइलन लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*, में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने *यू.सी.बी. फार्चिम एस.ए. और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड* में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की:

“6. इस न्यायालय की राय में, स्वीकृति-पूर्व विरोध का निर्णय गुणागुण के आधार पर किया गया था और अधिनियम की स्कीम का पालन करते हुए, जैसा कि यू.सी.बी. फरचिम (पूर्वोक्त) में निर्धारित किया गया है, याचिकाकर्ता का उपाय या तो स्वीकृति-पश्चात विरोध दायर करना या प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करना होगा। इस

प्रकार, वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

20. अपीलार्थी, वास्तव में, नियंत्रक के निर्णय के गुणागुण की समीक्षा चाहता है। दिए गए तथ्यों में, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि आर.पी.सी. द्वारा उसके स्वीकृत-पश्चात विरोध की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि न्यायालय के पास स्वीकृति-पूर्व विरोध को अस्वीकार करने वाले नियंत्रक के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग हेतु कोई स्पष्ट या अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं मिली है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियंत्रक ने गुणागुण पर आर.पी.सी. द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच की है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही में गुणागुण की समीक्षा करना उचित नहीं होगा। अतः, ऐसी सलाह दी जाती है कि आर.पी.सी. को पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए हटा देना चाहिए।

21. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। लंबित आवेदन भी खारिज किया जाता है।

न्या. विभू बखरु,

न्या. तारा वितस्ता गंजू,

1 मई, 2024

‘जी.एस.आर.’

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

